न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या –11 / 2017 एवं अपील संख्या 12 / 2017 जिला दौसा

1. भीम सिंह पुत्र प्रभू सिंह
2. कुम्हेर सिंह पुत्र प्रभू सिंह
3. रसाल बाई पत्नि प्रभू सिंह
   समस्त जाति राजपूत, निवासी ग्प्रम रौत , तहसील महवा, जिला दौसा ।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. नवल सिंह पुत्र गंगू सिंह तथाकथित दत्तक पुत्र गोप सिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्प्रम रौत तहसील महवा, जिला दौसा ।
2. ग्प्रम पंचायत हडिया तहसील महवा, जिला दौसा जरिये सरपंच ग्प्रम पंचायत हडिया, तहसील महवा, जिला दौसा ।

रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आज्ञा उप खण्ड अधिकारी महवा, जिला दौसा दिनांक 30.11.2016 बाबत नामांतरकरण संख्या 223 दिनांक 29.11.78 ग्प्रम रौत, ग्प्रम पंचायत हडिया

अपील संख्या – 12 / 2017 जिला दौसा

1. भीम सिंह पुत्र प्रभू सिंह
2. कुम्हेर सिंह पुत्र प्रभू सिंह
3. रसाल बाई पत्नि प्रभू सिंह
   समस्त जाति राजपूत, निवासी ग्प्रम रौत , तहसील महवा, जिला दौसा ।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. नवल सिंह पुत्र गंगू सिंह तथाकथित दत्तक पुत्र गोप सिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्प्रम रौत तहसील महवा, जिला दौसा ।
2. ग्प्रम पंचायत हडिया तहसील महवा, जिला दौसा जरिये सरपंच ग्प्रम पंचायत हडिया, तहसील महवा, जिला दौसा ।

रेस्पोंडेन्ट्स

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

अपील विरूद्ध आज्ञा उप खण्ड अधिकारी महवा, जिला दौसा दिनांक 30.11.2016 बाबत नामांतरकरण संख्या 304 दिनांक 18.11.1985 ग्प्रम रौत, ग्प्रम पंचायत हडिया

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री श्याम सुन्दर खण्डेलवाल
2. वकील रेस्पोंडेन्ट श्री विनोद कुमार विजय

निर्णय

दिनांक– 03.01.2018

यह दोनों द्वितीय अपीलें राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत उप खण्ड अधिकारी महवा, जिला दौसा के निर्णय दिनांक 30.11.2016 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है । दोनों अपीलों के तथ्य, पक्षकार, विषयवस्तु एवं निर्णय किये जाने वाले बिन्दु समान होने के कारण इन दोनों अपीलों का निर्णय एक ही आदेश के

द्वारा किया जा रहा है । निर्णय की प्रति दोनों पत्रावलियों में रखी जावे । दोनों प्रकरणों के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :–

यह कि ग्रम रौत, तहसील महवा , जिला दौसा स्थित आराजी रकबा 26 बीघा 19 बिस्वा के 1/4 हिस्से का खातेदार उमरावसिंह पुत्र पूरणमल उर्फ पूरणसिंह , जाति राजपूत था जिसके लाऔलाद फौत होने पर विरासत का नामांतरकरण संख्या 223 ग्रम पंचायत हडिया द्वारा दिनांक 20.11.78 को मृतक उमराव सिंह के भाई प्रभू सिंह पुत्र पूरणसिंह के नाम स्वीकार किया गया तथा प्रभूसिंह का नाम राजस्व अभिलेख में अभिलिखित हो गया । विवादित भूमि के खातेदार प्रभूसिंह के फौत होने पर उसकी विरासत का नामांतरकरण संख्या 304 ग्रम पंचायत हडिया द्वारा दिनांक 18.11.1985 को अपीलान्ट संख्या 1 व 2 भीमसिंह, कुम्हेर सिंह एवं दातारसिंह पि. प्रभूसिंह नाबालिग संरक्षिका माता रसालबाई बेवा प्रभू सिंह के नाम स्वीकार किया गया ।

उमराव सिंह एवं प्रभू सिंह की विरासत के उक्त दोनों नामांतरकरणों के खिलाफ नवल सिंह दत्तक पुत्र गोप सिंह द्वारा पृथक पृथक दो अपीलें न्यायालय उप खण्ड अधिकारी महवा के समक्ष दिनांक 12.10.2015 को प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. एवं प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम के साथ प्रस्तुत की । उप खण्ड अधिकारी महवा द्वारा रेस्पोंडेन्ट नवल सिंह की दोनों अपीलें अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.11.2016 द्वारा स्वीकार की जाकर नामांतरकरण संख्या 223 दिनांक 20.11.78 एवं नामांतरकरण संख्या 304 दिनांक 18.11.85 निरस्त किये जाकर प्रकरण उभयपक्ष को सुना जाकर विवादित नामांतरकरणों पर पुनः आदेश पारित करने हेतु तहसीलदार महवा को प्रतिप्रेषित किया गया ।

उप खण्ड अधिकारी महवा के उक्त निर्णय दिनांक 30.11.2016 के खिलाफ अपीलान्ट भीमसिंह वगैहरा द्वारा यह द्वितीय दोनों अपीलें मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ दिनांक 8.3.2017 को प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी महवा दिनांक 30.11.16 निरस्त किया जाकर प्रश्नगत नामांतरकरण बहाल रखे जाने की प्रार्थना की ।

दोनों अपीलें प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस में मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोंडेन्ट नवल सिंह द्वारा प्रश्नगत नामांतरकरणों के खिलाफ अपीलें मियाद बाहर पेश की थी जिन पर अपीलान्ट भीम सिंह वगैहरा की अनुपस्थिति में केवल रेस्पोंडेन्ट नवल सिंह की एकपक्षिय बहस सुनकर निर्णय दिनांक 30.11.2016 पारित कर प्रश्नगत नामांतरकरण निरस्त करते हुये प्रकरण पुनः निर्णय हेतु तहसीलदार महवा को प्रतिप्रेषित करने में कानूनी भूल की है । उनका कहना था कि अपीलान्ट्स प्रकरण में प्रभावित पक्षकार थे जिन्हें बिना सुने एकपक्षिय बहस सुनकर निर्णय पारित करना प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ है । प्रश्नगत नामांतरकरण ग्रम पंचायत द्वारा बाद जॉच तस्दीक किये गये थे जिनमें कोई विधिक अनियमितता नहीं है । उनका कहना था कि पक्षकारो के मध्य अधिकारों के निर्धारण के संबंध में दावा विचाराधीन है जिसमें उनके हक हकूकों का निर्धारण होना है । नामांतरकरण की कार्यवाही भू राजस्व की देयता के लिये एक फिसकल प्रोसीडिंग है जिससे पक्षकारों के अधिकारों का निर्धारण नहीं होता । विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि जब पक्षकारों के मध्य अधिकारों के निर्धारण संबंधी दावा सक्षम न्यायालय में विचाराधीन हो तो नामांतरकरण पर कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये । अपने कथन के समर्थन में आर.आर.डी–आर.बी.जे. 2016 पेज 686 की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित करते हुये कथन किया कि अपील

अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे तथा प्रश्नगत नामांतरकरण यथावत बहाल रखे जावे । अपने कथनों के समर्थन में आर.बी.जे. (23) 2016 पेज 686 की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया ।

रेस्पोंडेन्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस में मुख्य रूप से कथन किया विवादित भूमि के खातेदार मृतक उमराव सिंह की विरासत का प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 223 पटवारी हल्का द्वारा रेस्पोंडेन्ट नवल सिंह , गोप सिंह, सुगन सिंह पुत्रान पूरण सिंह एवं प्रभू सिंह पुत्र पूरण सिंह के नाम भरा गया था , लेकिन ग्रम पंचायत ने केवल प्रभूसिंह पुत्र पूरण सिंह के नाम स्वीकार करने में विधिक त्रुटि की है । रेस्पोंडेन्ट नवल सिंह मृतक उमराव सिंह के लाऔलाद फौत होने पर उसका विधिक वारिस है , लेकिन ग्रम पंचायत ने उसे छोडते हुये केवल प्रभू सिंह के नाम ही नामांतरकरण स्वीकार किया है जो त्रुटिपूर्ण एवं विधिविरूद्ध है । उनका कहना था कि दावा रसाल बाई बेवा प्रभू सिंह द्वारा दिनांक 17.2.2017 को पेश किया था जबकि नामांतरकरणों के खिलाफ अपीलें अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 12.10.2015 को पेश हो गई थी तथा दावा पेश होने से पूर्व ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.11.2016 द्वारा अपीलें निर्णित की जाकर प्रकरण तहसीलदार महवा को पुनः निर्णय करने हेतु प्रतिप्रेषित किया है , जो उचित एवं विधिसम्यक है । उनका कहना था कि प्रकरण में तहसीलदार महवा के समक्ष मृतक के विधिक वारिसान को सुना जाकर एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया जाकर नामांतरकरण के संबंध में पुनः निर्णय पारित होगा । अतः अपीलाधीन आदेश में कोई विधिक त्रुटि नहीं होने से दोनों अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश यथावत रखा जावे ।

मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया एवं वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत नजीर का अवलोकन किया । सर्वप्रथम अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये एवं विलम्ब के संबंध में लचिला रूख अपनाते हुये धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा किया जाता है । प्रकरण में विवाद मृतक खातेदार उमराव सिंह की विरासत के नामांतरकरण एवं प्रभूसिंह की विरासत के नामांतरकरण का है । मृतक खातेदार उमराव सिंह के लाऔलाद फौत होने पर उसकी विरासत का नामांतरकरण संख्या 223 पटवारी हल्का द्वारा रेस्पोंडेन्ट नवल सिंह , गोप सिंह, सुगन सिंह पुत्रान पूरण सिंह एवं प्रभू सिंह पुत्र पूरण सिंह के नाम भरा गया था जिसे ग्रम पंचायत द्वारा मृतक उमराव सिंह के भाई प्रभू सिंह के नाम तस्दीक किया है तथा प्रभूसिंह के फौत होने पर उसकी विरासत का प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 304 भीमसिंह, दातार सिंह एवं कुम्हेर सिंह पि. प्रभू सिंह के नाम तस्दीक किया गया है । दोनों नामांतरकरणों के खिलाफ रेस्पोंडेन्ट नवलसिंह की अपीलें अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.11.2016 द्वारा स्वीकार की जाकर नामांतरकरण निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार महवा को उभयपक्ष को सुना जाकर विवादित नामांतरकरणों पर पुनः आदेश पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया है । विवादित भूमि के संबंध में एक दावा न्यायालय उप खण्ड अधिकारी महवा के समक्ष उनवानी रसाल बाई बनाम नवलसिंह बाबत घोषणा खातेदारी एवं स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया हुआ है ।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में हम समझते हैं कि प्रकरण मे मृतक खातेदार उमराव सिंह लाऔलाद फौत हुआ था जिसकी विरासत का नामांतरकरण पूरण सिंह पुत्र प्रभू सिंह के नाम भरा गया , लेकिन नामांतरकरण के कॉलम संख्या 11 में प्रभूसिंह पुत्र पूरण सिंह अंकित कर दिया गया जिसका कोई कारण अंकित नहीं किया गया तथा ना ही ऐसा किसी सक्षम न्यायालय का आदेश है । नामांतरकरण पर ग्राम पंचायत के कौम के हस्ताक्षर नहीं होकर अकेले सरपंच के हस्ताक्षर है । नामांतरकरण पर अंकित सजरा से मृतक उमराव सिंह के भाई गोपसिंह का दत्तक पुत्र नवलसिंह , भाई सुगन सिंह व प्रभूसिंह वारिसान बताये थे , लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा इन्हें सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना ही केवल प्रभू सिंह के नाम नामांतरकरण तस्दीक कर दिया जो विधिक नहीं था । उक्त नामांतरकरण के आधार पर प्रभूसिंह राजस्व अभिलेख में अभिलिखित हुआ ओर प्रभूसिंह के फौत होने पर उसकी विरासत का नामांतरकरण संख्या 304 ग्राम पंचायत द्वारा उसके पुत्रान एवं विधवा के नाम तस्दीक कर दिया । उपरोक्त के दृष्टिगत ही अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश द्वारा प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 223 एवं 304 को खारिज होने योग्य मानते हुये विवादित आराजी उमराव सिह की होने से मुताबिक सजरा अपीलान्ट का 1/3 भाग में हित निहित होने से दोनों अपीलें स्वीकार की जाकर प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 223 दिनांक 20.11.78 एवं नामांतरकरण संख्या 304 दिनांक 18.11.85 ग्राम रौत निरस्त किये जाकर प्रकरण तहसीलदार महवा को उभयपक्ष को सुना जाकर विवादित नामांतरकरणों पर पुनः आदेश पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किये हैं जिसमें हम कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं तथा दोनों अपील अपीलान्ट खारिज किया जाना उचित समझते हैं । परिणामस्वरूप दोनों अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है ।

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

चित्रा

(चित्रा गुप्ता)

अति. सम्भागीय आयुक्त,

जयपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर